

प्ररूप सं. 30ग

[नियम 43 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 230(1क) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

सेवा में

.....

[विहित प्राधिकारी का पदनाम]

महोदय,

मैं धारा 230 उपधारा (1क) के अधीन यथाअपेक्षित आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूँ--

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
2. वर्तमान पता .....
3. स्थायी पता .....
4. \*पिता/पति का नाम .....
5. भारत में कारबार/वृत्ति की प्रकृति .....
6. \*धारा 139क के अधीन आबंटित <sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .....

या

\*मेरी कुल आय आय-कर से प्रभाय नहीं है (उपाबंध के अनुसार प्रमाणपत्र) .....

या

\*मेरे लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन <sup>2</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है (उपाबंध के अनुसार प्रमाणपत्र)

.....

7. भारत के बाहर जाने का प्रयोजन .....
8. भारत के बाहर ठहरने की अनुमानित अवधि .....
9. पासपोर्ट सं./आपात प्रमाणपत्र सं.  
(क) कब जारी किया गया (तारीख) .....
- (ख) जारी करने का (स्थान) .....

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार दी गई जानकारी सही है और उसका सत्य रूप से कथन किया गया है।

-----

1. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1-9-2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1-9-2019 से अतःस्थापित।

स्थान : .....

तारीख : .....

भवदीय,  
आवेदक

\*जो लागू न हो, उसे काट दें ।

**उपाबंध**

भारत में अधिवास करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र जिसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या जिसके लिए आय-कर अधिनियम के अधीन <sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है मैं, ..... जो \*का पुत्र/की पुत्री/पत्नी हूँ तथा .....\*का/की निवासी हूँ, यह प्रमाणित \*करता/करती हूँ कि--

(क) \*मुझे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के उपबंधों के अधीन कोई <sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] आर्बिट नहीं किया गया है;

या

(ख) \*आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित मेरी कुल आय कर से प्रभार्य नहीं है;

या

(ग) \*मेरे लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन <sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

(प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....

पता.....

**सत्यापन**

मैं, ....., यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर जो कुछ कथन किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

आज तारीख ..... को सत्यापित किया गया।

1. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्थान : .....

.....  
(प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

\*जो लागू न हो, उसे काट दें ।